दिल्ली विकास प्राधिकरण

123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित दो सदस्यीय समिति का कार्यालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 7वां तल, विकास मीनार, नई दिल्ली–110002

सार्वजनिक सूचना

विषयः 123 वक्फ संपत्तियों को अधिग्रहण से विमुक्त करना

जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 661 (ई) दिनांक 5.3.2014 के द्वारा 123 वक्फ संपत्तियों (61 भूमि एवं विकास कार्यालय और 62 दिल्ली विकास प्राधिकरण) को विमुक्त किया गया था और दिल्ली वक्फ बोर्ड या मुतवलिस को हक़ वापस करने की अनुमति दी गई थी।

चूंकि उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ. 661 (ई) दिनांक 5.3.2014 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (सी) संख्या 2901/2014 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसका शीर्षक 'इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य' था।

चूंकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.8.2014 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया है कि भारत सरकार सभी हितधारकों, विशेष रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड को सुनवाई का अवसर देने के बाद उचित निर्णय लेगा।

परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या एल–IIए/25(101)/49 दिनांक 10.02.2021 के तहत संलग्नक ए के अनुसार उक्त 123 विमुक्त संपत्तियों के सभी हितधारकों/प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.पी. गर्ग और श्री राधा चरण (सेवानिवृत्त एसडीएम) शामिल हैं।

चूंकि उक्त 123 संपत्तियों का विवरण दिल्ली विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट **www.dda.gov.in** पर तथा दो सदस्यीय समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध है। किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए श्री नितेश एवं श्री विशाल से फोन नंबर 011–23378288 (एक्सटेंशन नंबर 254, 270) पर संपर्क किया जा सकता है।

चूंकि समिति को वक्फ संपत्तियों और नजूल भूमि का भी सीमांकन करना होता है, जहां वे इकट्ठी मौजूद हैं।

इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से समिति सभी हितधारकों/प्रभावित पक्षों को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर संवाद के लिए संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी आदि के साथ भूमि के स्वामित्व/कब्जे से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों सहित अभ्यावेदन/बयान/लिखित प्रस्तुतियां दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

हितधारकों/प्रभावित पक्षों के इस अनुरोध के प्राप्त होने पर, आपत्तिकर्ताओं/ आवेदकों को दो सदस्यीय समिति के कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.पी. गर्ग **श्री राधा चरण, एसडीएम (सेवानिवृत्त)**